न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला- दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
....रामबाबू....बनाम....अशोक....	
मु.नं.- 04/25 किस्म - T.टि.	
30.1.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया, जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली दर्जुजार दिनांक 19.3.26 को पेश हो।	
19.03.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।	
उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04/2025	13.01.2025	19.03.2026

बउनवान

1. रामबाबू पुत्र स्व. गिरवर शर्मा, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।

...सायल/प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल, निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, बडियालकला रोड, बॉदीकुई, दौसा।
2. कमलकांत पुत्र रामेश्वरदयाल, निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, बडियालकला रोड, बॉदीकुई, दौसा।
3. राजकुमार पुत्र रामेश्वरदयाल, निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, बडियालकला रोड, बॉदीकुई, दौसा।
4. योगेश्वरी पुत्री रामेश्वरदयाल, निवासी बडियाल, बॉदीकुई, दौसा।
5. ओमप्रकाश पुत्र हांडू, निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे महेश तेल वाले की गली, मण्डावर तहसील मण्डावर, दौसा।
6. कैलाशचन्द पुत्र हांडू, निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे महेश तेल वाले की गली, मण्डावर तहसील मण्डावर, दौसा।
7. ब्राह्मनंद पुत्र हांडू, निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे महेश तेल वाले की गली, मण्डावर तहसील मण्डावर, दौसा।
8. कृष्णकांत पुत्र सुगनचंद, निवासी मकान नम्बर 39 शिवा कॉलोनी, बरकत नगर, जयपुर।
9. पुनीत कुमार पुत्र सुगनचंद, निवासी मकान नम्बर 39 शिवा कॉलोनी, बरकत नगर, जयपुर।
10. शारदा पत्नी सुगनचंद, निवासी मकान नम्बर 39 शिवा कॉलोनी, बरकत नगर, जयपुर।
11. पुरषोत्तम पुत्र धन्ना, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर दौसा।
12. अशोक कुमार मीना पुत्र शिवलाल मीना, निवासी प्रोनिक्स इंटर नेशनल फर्नीचर हाउस, नया बस स्टैण्ड, मण्डावर तहसील मण्डावर, दौसा।
13. विमला पत्नी जगदीश प्रसाद मीना, निवासी प्रोनिक्स इंटर नेशनल फर्नीचर हाउस, नया बस स्टैण्ड मण्डावर, तहसील, मण्डावर, दौसा।
14. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

...गैरसायलान/अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मुकेश सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6, 11 – श्री प्रीतमचन्द सैनी/शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. 571 के खसरा सं. 909, 914, 915, 930, 931, 932, कुल किता 06 कुल रकबा 1.38 हैक्टे., एवं खसरा सं. 910 रकबा 0.27 हैक्टे. ग्राम मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि के भूमि एकीकरण संवत 2020 से पूर्व खसरा सं. 533, 534, 535, 536, 533/1349 थे एवं जो भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा सं. से मिलकर एक खसरा सं. 540 रकबा 5 बीघा 9 बिसवा बना था जिसका नक्शा ट्रेस के अनुसार भी उक्त खसरा नम्बरान के अनुसार साबिक खसरा सं. 540 सही बनाया गया था एवं भू बन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि सेटलमेंट के दौरान खसरा सं. 540 के नये नम्बर 909, 914, 915, 930, 931. 932 बना दिए लेकिन एक नम्बर 910 को छोड़ दिया था क्योकि नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 910 भी साबिक खसरा नम्बर 540 का ही भाग है एव वर्तमान खसरा नम्बर 910 भूमि एकीकरण से पूर्व यह खसरा नम्बर 536 के स्थान पर बताया गया है एवं खसरा नम्बर 536 में साबिक नम्बर 540 बना है जिससे यह साबित है कि खसरा नम्बर 910 साबिक खसरा नम्बर 540 का हिस्सा है जो कि वादीगण एवं गैरसायल 12 व 13 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है लेकिन भू बन्दोवस्त विभाग के द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करने में यह खसरा नम्बर 910 को साबिक खसरा नम्बर 542 में बना हुआ बता दिया एवं वह गैरसायल 1 लगायत 11 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है जो कि विधि विरुद्ध है एवं उक्त खसरा नम्बर 910 की भूमि पर अपने बुजुर्गान के समय से ही सायल एवं गैरसायल नम्बर 12 व 13 का कब्जा है एवं यह भूमि सायल की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 910 को गैरसायल 1 लगायत 11 की खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी सायल को नहीं थी क्योकि उक्त भूमि सायल एवं गैरमायल 12 व 13 की संयुत्त खातेदारी में रही है जिस पर आज वर्तमान में भी सायल एवं गैरमायल 12 व 13 का कब्जा है। दिनाक 07.01.2025 को सायल अपनी भूमि पर फसल की देखभाल करने गया था वहा पर पहले से ही खसरा नम्बर 910 पर गैरसायल 1 लगायत 11 मौजूद थे जो खसरा नम्बर 910 की भूमि को जबरन हडपना चाहते थे एवं इन सभी ने सायल को सरेआम धमकी दी कि खसरा नम्बर 910 हमारी खातेदारी भूमि में दर्ज है हम उस भूमि पर कब्जा करेंगे तो सायल द्वारा गैरसायन 1 लगायत 11 से कहा की यह भूमि हमारे बुजुर्गान के समय से बंटी हुई चली आ रही है जो जिस भूमि पर काबिज है उसी पर काश्त करता चला आ रहा है। अब भू बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों ने गलती से यह भूमि खसरा नम्बर 910 तुम्हारे खाते में लगा दी है जिसे राजी खुशी से दुरुस्त करवा लो लेकिन गैरसायल 1 लगायत 11 ने साफ साफ इंकार कर दिया एवं सायल को ऐलानिया धमकी देते हुए कहा की हमारे लट्ठ में ताकत है हम खसरा नं. 910 की भूमि पर कब्जा करके रहेंगे एवं उसी समय फौजदारी झगडा करने पर आमादा हो गए एवं सायल को जान से मारने की धमकी देने लगे थे। विवादित भूमि खसरा नम्बर 910 खसरा नं. 540 का हिस्सा है जो सायल एवं गैरसायल 12 व 13 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिससे गैरसायल 1 लगायत 11 की खातेदारी में लगने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

से जो इस भूमि को जबरन लट्ठ के बल पर हडपना चाहते है यदि गैरसायन 1 लगायत 11 अपने द्वारा दी गई धमकी में सफल हो गए तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं उक्त खसरा नम्बर 910 को राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्त करवाया जाना अति आवश्यक है लिहाजा सायल को यह वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का गैरसायल 1 लगायत 11 के विरुद्ध पेश करना आवश्यक हुआ है उक्त वाद पत्र में गैरसायल 12 व 13 को आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से पक्षकार बनाया गया है एवं वाद पत्र तकास्मा का होने से प्रतिसायल नम्बर 14 लैण्ड होल्डर तहसीलदार मंडावर को आवश्यक पक्षकार होने से गैरसायल बनाया गया है जो पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2025 को सायल को गैरसावल 1 लगायत 11 द्वारा सायल की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 910 की भूमि में आकर भूमि को लठ्ठ के बल पर हडपने की एवं सायल को जान से मारने कि एलानिया धमकी देने व उक्त विवादित भूमि से सायल को बेदखल कर भूमि को किसी दीगर बदमाश व्यक्तियों को बेचने व रहन रखने कि धमकी देने से बमुकाम वाके ग्राम मंडावर तहसील मंडावर जिला दौसा में उत्पन्न हुई है जिससे सायल ने वह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान न्यायालय में पेश करना लाजिमी है एवं सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता वाद पत्र फैसला उक्त भूमि की वावत राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु पावन्द फरमाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। सायल का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है एवं खसरा नम्बर 910 की भूमि जो कि साबिक खसरा नम्बर 540 का हिस्सा है। यदि गैरसायल 1 लगायत 11 द्वारा जबरन लठ्ठ के बल पर हडप ली तो सायल को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर ता दावा फैसला गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाने कि कृपा करे की वो विवादित आराजीयात सायल के हिस्से 3/4 में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजाहमत, मदाखलत नहीं करे सायल को शांति पूर्वक काश्त करने से नहीं रोके एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन,बेचान नहीं करे एवं विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश फरमाने की कृपा करे ।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए।

3. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 14 ने नोटिसों की सम्यक तामील के बावजूद न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार, वर्तमान में विवादित आराजीयात खसरा सं. 909, 914, 915, 930, 931, 932, प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 13 की सहखातेदारी की भूमि है तथा खसरा सं. 910 प्रार्थी की खातेदारी भूमि नहीं है। विवादित आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र के जरिये प्रार्थी द्वारा इन्द्राज, दुरूस्ती तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डावर, पटवार हल्का मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 909, 914, 915, 930, 931, 932 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.01.2025 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)